भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 814

(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

चीनी कंपनियां

814. श्रीमती शारदा अनिल पटेलः
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत चीनी कंपनियों की संख्या किनती है;
(ख) क्या भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने घरेलू कंपनियों में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ मिलकर भारत में व्यापार कर रही हैं।

(ख): जी, हां। सीडीएम डाटाबेस के अनुसार, भारत में 3560 कंपनियां हैं जिनके चीनी निदेशक हैं। चीनी निवेशकों/ शेयरधारकों वाली कंपनियों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि एमसीए सिस्टम में ऐसा डाटा अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित कतिपय नियमों और प्ररूपों में संशोधन किया है ताकि ऐसे मामलों में जहां भू-सीमावर्ती देशों की इकाइयां (एलबीसीई) शामिल हैं, कम्पनियों के निगमन, निदेशकों की नियुक्ति, प्रतिभूतियों को जारी करना और स्थानांतरित करना और समझौता व्यवस्था और समामेलन करने को विनियमित किया जा सके। ऐसे मामलों में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन प्राप्त किए गए सरकारी अनुमोदन के बारे में या गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रकटनों हेतु ऐसे संशोधनों के माध्यम से नई अपेक्षाओं का प्रावधान किया गया है।

*****